

प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 25-09-2021

शस्त्र अधिनियम में एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में विमल कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी कोतवाली, गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली व उ०नि० राम सिंह मय हमराह के थाना कोतवाली गोरखपुर थाना स्थानीय पर दिनांक 25.09.2021 को चेकिंग के दौरान अभियुक्त रविकान्त कुमार पुत्र स्व० कंदन लाल निवासी पुर्दिलपुर गोलघर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के पास से एक अदद चाकू बरामद किया गया जिसके आधार पर मु०अ०सं० 207/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त रविकान्त कुमार पुत्र स्व० कंदन लाल निवासी पुर्दिलपुर गोलघर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 25.09.2021 को हट्टी माता मन्दिर के पास रिक्शा कंपनी के आगे अभियुक्त के पास से बरामद हुआ।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू

आपराधिक विवरण-

मु०अ०सं० 207/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
2. उ०नि० राम सिंह (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
3. का० आनन्द कुमार गिरी (थाना कोतवाली, गोरखपुर)
4. का० अनिल कुमार (थाना कोतवाली, गोरखपुर)